30 मार्च, 2012 को पूर्वाह्न 10.30 बजे कमरा नंबर 47, उद्योग भवन में आयोजित की जाने वाली अनुमोदन बोर्ड की 52वीं बैठक के लिए एजेंडा

मद संख्या 52.1 : विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

क्र. सं.	विकासक का नाम	लोकेशन	क्षेत्र	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि पर कब्जा	एसजीआर*	आवेदन की स्थिति
(i)	मैसर्स एग्रोवेब आनलाइन प्राइवेट लिमिटेड	गांव कानडिया, तहसील एवं जिला इंदौर, मध्य प्रदेश	आईटी / आईटीईएस	14.544	हां	हां	नया
(ii)	मैसर्स विप्रो लिमिटेड	सरजापुरा, अनेकाल तालुक, बैंगलोर अर्बन डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक	आईटी / आईटीईएस	14.523	हां	हां	नया
(iii)	इलैक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पार्क - केरल	पल्लिपुरम और वीलूर गाँव, तालुक और जिला तिरुवनंतपुरम, केरल	आईटी / आईटीईएस	39.3719	हां	हां	नया
(iv)	इलैक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी पार्क - केरल	एंडोर्कोनम, गाँव, तालुक और जिला तिरुवनंतपुरम, केरल	आईटी / आईटीईएस	17.7120	हां	हां	नया
(v)	मैसर्स सुवी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	गांव कनाडिया, बादियाकिमा और मालीखेड़ी, इंदौर, मध्य प्रदेश	आईटी / आईटीईएस	10.11	नहीं*	हां	नया

***मध्य प्रदेश सरकार ने विकासक को 25 एकड़ भूमि आवंटित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है।**

मद संख्या 52.2 : सह विकासक के लिए अनुरोध

(i) प्लॉट संख्या टीजेड-06, टेक जोन, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स अर्थ आइकानिक इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

30.41 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 29 अगस्त, 2006 को अधिसूचित किया गया था। मैसर्स अर्थ इकोनामिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त एसईजेड में 151762.50 हेक्टेयर (37.57 एकड़) के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 22 फरवरी, 2012 भी उपलब्ध कराया गया है। निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पट्टा करार भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(ii) मैसर्स महाराष्ट्र एयरपोर्ट डवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा नागपुर, महाराष्ट्र में विकसित किए जा रहे बहु उत्पाद एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का अनुरोध

1597.16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में 140 एकड़ के क्षेत्रफल में अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। विकासक के साथ किया गया सह विकासक करार दिनांक 15 फरवरी, 2012 भी उपलब्ध कराया गया है। निष्पादित किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पट्टा करार भी उपलब्ध कराया गया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड एसईजेड ने प्रस्ताव की सिफारिश की है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

(iii) ग्राम ग्वाल पहाड़ी, तहसील सोहना, जिला गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स एएसएफ इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में सह विकासक के लिए मैसर्स किंग्स कैनन इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

19.3028 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उक्त एसईजेड अधिसूचित हो गया है। मैसर्स किंग्स कैनन इनसिग्निया एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड ने प्रसंस्करण क्षेत्र में 3.648 एकड़ के क्षेत्रफल में 741036 वर्गमीटर के निर्मित क्षेत्रफल में अवसंरचना के विकास और / या प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए उपर्युक्त एसईजेड में सह विकासक बनने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पट्टा की शर्तों के साथ सह विकासक करार दिनांक 12 मार्च 2012 प्रस्तुत किया गया है।विकास आयुक्त, एनएसईजेड की सिफारिश की प्रतीक्षा है। सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

सह विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या 5.3 : पांचवें एवं छठें साल के बाद यूनिटों के औपचारिक अनुमोदनों की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i)) ग्राम मुसलगांव तथा गुलवंच, तालुक सिन्नार, जिला नासिक, महाराष्ट्र में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 24 जून, 2011 के बाद दूसरी बार बढ़ाने के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 25 जून, 2007 के माध्यम से 1023.43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 1006.96 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 27 अक्टूबर, 2009 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का दूसरा एक्सटेंशन प्रदान किया गया है जो 24 जून, 2012 तक वैध है। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एसईईपीजेड, एसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

(ii) गुड़गांव, हरियाणा में टेक्सटाइल के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 16 अगस्त, 2012 के बाद (6वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स ओरिएंट क्राफ्ट इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 17 अगस्त, 2006 के माध्यम से 113.35 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 114.8318 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 13 अप्रैल, 2007 को अधिसूचित किया गया था। विकासक को अब तक तीन बार समय विस्तार प्रदान किया जा चुका है। पिछली बार बढ़ाई गई अवधि 16 अगस्त, 2012 तक वैध थी। विकासक ने परियोजना को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा प्रदान किया है। विकासक ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा 30 अगस्त 2008 को अनुमोदित मास्टर प्लान को उन्होंने इस वजह से प्रमाणित नहीं किया है कि राज्य सरकार ने एसईजेड के रूप में अधिसूचित उनकी भूमि में टोल प्लाज़ा के निर्माण के लिए अधिसूचित भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की है। पंजाब और हरियाणा के माननी उच्च न्यायालय में उनके द्वारा भूमि अधिग्रहण को चुनौती दी गई तथा अभी भी यह न्यायाधीन है। परियोजना को पूरा करने के लिए विकासक को कुछ और समय की आवश्यकता है और इसलिए उन्होंने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने विकासक के अनुरोध की सिफारिश की है तथा सूचित किया है कि विकासक ने अब तक भूमि सहित निम्नलिखित में लगभग 139.52 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि आगे बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) इच्छापुर, सूरत, गुजरात में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 अप्रैल, 2012 के बाद (6वें वर्ष के बाद) पुन: बढ़ाने के लिए मैसर्स गुजरात हीरा बुर्स का अनुरोध

विकासक को एलओए दिनांक 7 अप्रैल, 2006 के माध्यम से 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया था। 73.87 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 20 जुलाई, 2007 को अधिसूचित किया गया था। औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि 06 अप्रैल, 2012 तक बढ़ाई जा चुकी है। इसलिए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने अनुरोध की सिफारिश की है तथा सूचित किया है कि विकासक ने अधिसूचित एसईजेड को विकसित करने के लिए कार्यान्वयन की दिशा में कदम उठाना शुरू कर दिया है जिसके लिए अधिकृत प्रचालनों के लिए माल एवं सेवाओं का सीमांकन एवं अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा विकासक ने प्रसंस्करण / गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकांश अवसंरचना कार्य पूरा कर लिया है तथा 3 मार्च 2012 तक की स्थिति के अनुसार कुल 80.10 करोड़ रुपए का व्यय किया है। विकास आयुक्त ने यह भी सूचित किया है कि 4 यूनिटों को एलओए प्रदान किया गया है जिसमें से 1 यूनिट 31 अक्टूबर 2012 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देगी।

औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि आगे बढ़ाने के लिए विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 52.4 : सैद्धांतिक अनुमोदन की अवधि दूसरी बार बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) ग्राम वनजोरे, तिरुपट्टिनम कम्यून, कराइकल जिला, पांडिचेरी में 243.506 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में पोर्ट आधारित बहु उत्पाद्र एसईजेड स्थापित करने के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन की वैधता अवधि 26 फरवरी 2012 के बाद बढ़ाने के लिए मैसर्स कराइकल पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

एलओए दिनांक 27 फरवरी, 2009 के माध्यम से सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई थी। विकासक को औपचारिक अनुमोदन का दो बार विस्तार प्रदान किया जा चुका है जो 26 फरवरी, 2012 तक वैध है। विकासक ने बताया है कि उन्होंने 202 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है तथा शेष भूमि का अधिग्रहण लगभग 8 माह में कर लिया जाएगा। विकासक ने बताया है कि अनिश्चित आर्थिक परिदृश्य के कारण पोर्ट के मुख्य भाग में अनेक मेगा उद्योगों ने अपनी व्यवसाय योजनाओं को आस्थगित कर दिया है तथा तमिलनाडु सरकार एवं पुडुचेरी सरकार ने क्षेत्रीय योजनाओं की समीक्षा की है जिनको उनके व्यवसाय योजनाओं में शामिल करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विकासक ने औपचारिक अनुमोदन की वैधता अवधि एक साल बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त, एमईपीजेड ने 26 फरवरी 2012 के बाद पुन: एक साल की अवधि के लिए वैधता अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 52.5 : तीन से पांच साल के बाद यूनिटों के एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध

(i) 31 मई, 2012 के बाद (तीसरे साल के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स रामदेव केमिकल इंडस्ट्रीज जो मैसर्स दाहेज एसईजेड लिमिटेड, गुजरात की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 01 दिसंबर 2008 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स रामदेव केमिकल इंडस्ट्रीज को एलओपी प्रदान किया गया था। इसके बाद, यूनिट के अनुरोध पर विकास आयुक्त ने निर्माण गतिविधि के संबंध में यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 30 नवंबर, 2011 तक बढ़ाई थी। 28 नवंबर 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में यूनिट की वैधता अवधि 31 मई 2012 तक बढ़ाई गई थी तथा निदेश दिया गया था कि इस तिथि तक यूनिट चालू हो जानी चाहिए। विकासक ने वैधता अवधि पुन: 31 मार्च, 2013 बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि यूनिट ने फेंसिंग / चारदीवारी का निर्माण शुरू कर दिया है तथा अपने एक प्लांट भवन (युटिलिटी भवन) के लिए संरचनात्मक कार्य पूरा कर लिया है। साथ ही उत्पादन संयंत्र भवन (पिगमेंट ब्लू 15:3) के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रमुख उपकरणों के लिए नींव के निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। निस्सारी शोधन संयंत्र का कार्य प्रगति पर है। साइट के अंदर अन्य अवसंरचना सुविधाओं जैसे कि वाटर टैंक, रोड नेटवर्क का कार्य प्रगति पर है। यूनिट ने बताया है कि प्राकृतिक गैस उपलब्ध न होने के कारण 31 मार्च 2013 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं हो सका।

विकास आयुक्त, दाहेज एसईजेड ने यह भी सूचित किया है कि भूमि एवं निर्माण सहित साइट विकास की गतिविधियों के लिए यूनिट ने अब तक 7 करोड़ रुपए का निवेश किया है तथा उपकरणों के लिए अग्रिम भुगतान के लिए 1 करोड़ रुपए का अन्य निवेश किया है। इसके अलावा यूनिट ने 14.83 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव किया है। इसलिए विकास आयुक्त ने 31 मार्च 2013 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च, 2013 तक एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) 31 मार्च, 2012 के बाद (5वें वर्ष के बाद) एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मैसर्स हैंगर्स प्लस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो मैसर्स महिंद्रा वर्ल्ड सिटी एसईजेड, चेन्नई की एक यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 28 मार्च, 2007 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स हैंगर्स प्लस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट को विकास आयुक्त, एमईपीजेड द्वारा समय समय पर 31 मार्च 2011 तक विस्तार प्रदान किया गया है। 31 मई 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में यूनिट को 31 मार्च 2012 तक का विस्तार प्रदान किया गया था। यूनिट ने एक साल की अवधि के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि यूनिट ने 85 प्रतिशत सिविल कार्य पूरा कर लिया है तथा किसी भी समय विद्युत बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके अलावा यूनिट ने यूएसए तथा वियतनाम से मशीनरी के आयात के लिए आर्डर दिया है। यह भी बताया गया है कि यूनिट इस वर्ष के अंत तक परियोजना को लागू करने के लिए प्रयास कर रही है। विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि यूनिट ने अब तक 10 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसलिए विकास आयुक्त ने 31 मार्च 2013 तक वैधता अवधि पुन: बढ़ाने की सिफारिश की है।

अधिसूचना दिनांक 10 नवंबर, 2010 के माध्यम से एसईजेड नियमावली 2006 का नियम 19 (4) संशोधित किया गया है। इस संशोधन से अनुमोदन बोर्ड किसी यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि उद्यमी के अनुरोध पर चौथे साल के बाद एक बार में एक साल के लिए पुन: बढ़ाने में समर्थ हो गया है।

एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए यूनिट का अनुरोध विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

मद संख्या 52.6 : बड़ोदरा, गुजरात में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड में निर्माण की गतिविधियों के दौरान अस्थायी द्वितीय गेट के लिए मैसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड का अनुरोध

10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में उपर्युक्त एसईजेड 18 नवंबर, 2008 को अधिसूचित किया गया था। 14 जनवरी 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में 31 मार्च 2012 तक की अवधि के लिए पहले से मौजूद एक गेट के अलावा निकास / प्रवेश के लिए एक अतिरिक्त अस्थायी गेट के लिए विकासक के अनुरोध पर विचार किया गया तथा अनुमोदित किया गया। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"विचार विमर्श के बाद अनुमोदन बोर्ड ने विकासक द्वारा निर्माण की योजना को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2012 तक की अवधि के लिए पहले से मौजूद एक गेट के अलावा प्रवेश / निकास के लिए एक अतिरिक्त अस्थायी गेट के लिए विकासक के अनुरोध को मंजूरी प्रदान की।"

विकास आयुक्त ने सूचित किया है कि विकासक ने 9 माह की अगली अवधि के लिए अर्थात 1 अप्रैल 2012 से 31 दिसंबर 2012 तक अतिरिक्त अस्थायी प्रवेश / निकास द्वार के प्रयोग की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है क्योंकि उनकी निर्माण गतिविधियां अभी तक समाप्त नहीं हुई है जिसकी वजह से अस्थायी गेट लगाया गया है। तथापि, दिसंबर, 2012 तक इसके पूरा हो जाने की उम्मीद है।

विकास आयुक्त ने बताया है कि 4 अनुमोदित यूनिटों के साथ यह एसईजेड क्रियाशील एसईजेड है तथा एसईजेड में 2000 व्यक्ति काम कर रहे हैं और 29 फरवरी 2012 (2011-12) तक की स्थिति के अनुसार कुल 49.21 करोड़ रुपए का आईटी निर्यात किया गया। स्थान के लिए मांग को पूरा करने के लिए निर्माण कार्य प्रगति पर है।

विकास आयुक्त ने प्रस्ताव की सिफारिश की है ताकि विकासक क्रियाशील यूनिटों को किसी बाधा के बगैर निर्माण सामग्री एवं उपकरण पहुंचाने में सफल हो सके।

विकासक का अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 52.7 : गुड़गांव, हरियाणा में मैसर्स गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित किए जा रहे आईटी / आईटीईएस एसईजेड में स्थित दो एसईजेड यूनिटों के विलय के लिए मैसर्स आरबीएस इंडिया डवलपमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

उपर्युक्त एसईजेड मैसर्स आरबीएस इंडिया डवलपमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की दो यूनिटें (यूनिट 1 एवं यूनिट 2) हैं। यूनिट 1 को 222468 वर्गफीट के क्षेत्रफल में अधिकृत गतिविधियों अर्थात कंप्यूटर साफ्टवेयर विकास एवं सहायता सेवाओं के लिए 16 दिसंबर 2009 को एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट 2 को 161046 वर्गफीट के क्षेत्रफल में अधिकृत गतिविधियों अर्थात कंप्यूटर साफ्टवेयर विकास, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं (आईटी / आईटीईएस) के लिए 12 नवंबर 2010 को एलओपी प्रदान किया गया था। दोनों यूनिटें अधिकृत प्रचालनों के लिए उपकरण / माल के प्रापण पर ड्यूटी / कर लाभ प्राप्त कर रही हैं तथा क्रियाशील बन चुकी हैं।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने सूचित किया है कि प्रचालनात्मक दक्षता प्राप्त करने, अवसंरचना का उपयोग इष्टतम करने तथा अनुपालन के प्रयासों को इष्टतम करने के लिए मैसर्स आरबीएस ने उपर्युक्त एसईजेड में स्थित दो एसईजेड यूनिटों के विलय के लिए अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने बताया है कि दो एसईजेड यूनिटों के एलओए के विलय के लिए एसईजेड अधिनियम / नियमावली में कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए विकास आयुक्त ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध अग्रेषित किया है।

मद संख्या 52.8 : एक एसईजेड से यूनिट को दूसरे एसईजेड में अंतरित करने के लिए अनुरोध

(i) गुड़गांव, हरियाणा में गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड में अपने लोकेशन को शिफ्ट करने के लिए मैसर्स इंसपाप डाट कॉम जो मैसर्स डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा गुड़गांव, हरियाणा में आईटी / आईटीएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स इंसपाप डाट कॉम को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। यूनिट ने 24 मार्च, 2011 से गतिविधियां शुरू की तथा वर्ष 2010-11 के लिए यूनिट का निष्पादन इस प्रकार है :

निर्यात का एफओबी मूल्य	आयात (वर्ष के दौरान उपभुक्त)	एनएफई स्थिति

42.12 लाख रुपए	शून्य	42.12 लाख रुपए

इस समय यूनिट 6713 वर्गफीट के क्षेत्रफल का अधिभोक्ता है। यूनिट ने सूचित किया है कि डीएलएफ साइबर सिटी एसईजेड की मौजूदा सुविधा उसी परिसर में अतिरिक्त स्थान को पट्टा पर लेने की अनुमति नहीं देती है जिसे एसईजेड यूनिट के पास वर्तमान में उपलब्ध स्थान के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इसलिए यूनिट ने अब गुड़गांव इनफोस्पेस लिमिटेड के एसईजेड में 15674 वर्गफीट का क्षेत्रफल अधिग्रहीत करने का प्रस्ताव किया है। यूनिट ने सूचित किया है कि उन्होंने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10एए के प्रावधान के तहत किसी करावकाश का दावा नहीं किया है। प्रस्तावित रिलोकेशन के लिए निम्नलिखित औचित्य प्रदान किया गया है :

(i) उसी परिसर में ग्रुप की एक अन्य संस्था अर्थात मैसर्स ईयूआई लिमिटेड से दोनों यूनिटों के लिए सुनिश्चित आईटी अवसंरचना की उपलब्धता के कारण एडमिरल ग्रुप पीएलसी को रणनीतिक लाभ प्राप्त होगा।

(ii) रिलोकेशन से परिवहन तथा अन्य प्रशासनिक एवं सहायता लागतों को न्यूनतम करने में भी ग्रुप की कंपनियों को मदद मिलेगी। यूनिट ने उम्मीद की है कि प्रस्तावित लोकेशन पर प्रचालन यूनिट के लिए रेंटल तथा अनुरक्षण लागत यूनिट के लिए काफी किफायती है।

(iii) समान भवन में तथा बिल्कुल आसपास स्थित दोनों संस्थाएं अधिक संयुक्त कार्यबल के साथ समान स्थान से प्रचालन करके भारत में अधिक दृष्टिगोचरता का सृजन करेंगी और इससे एचआर तथा अन्य सहायता कार्यों में मदद मिलेगी।

(iv) यूनिट के रिलोकेशन से अर्हक कार्मिकों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे तथा अधिक मजबूत भारतीय प्रचालन से विदेशी मुद्रा के अर्जन में वृद्धि होगी।

वाणिज्य विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेश संख्या 59 के अनुसार एक एसईजेड से दूसरे एसईजेड में यूनिटों के अंतरण के अनुरोध पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है।

विकास आयुक्त, एनएसईजेड ने अनुमोदन बोर्ड के विचारार्थ अनुरोध अग्रेषित किया है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 52.9 : सीटीएच संख्या 39 20 20 के तहत आने वाली मद अर्थात बीओपीपी फिल्म के निर्माण को शामिल करने के लिए एलओपी की ब्राड बैंडिंग के लिए मैसर्स कास्मो फिल्म लिमिटेड जो सेंद्रे, जिला औरंगाबाद में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक्स के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एल्युमिनियम लैमिनेटेड बीओपीपी तथा एक्सट्रूसन लैमिनेटेड बीओपीपी फिल्म के निर्माण एवं निर्यात के लिए एलओपी दिनांक 26 अगस्त 2010 के माध्यम से उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए मैसर्स कोस्मो फिल्म लिमिटेड को अनुमोदन प्रदान किया गया था। 21 मार्च 2012 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदन समिति द्वारा मदों की ब्राडबैंडिंग अर्थात बीओपीपी फिल्मों के निर्माण के लिए यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया। समिति ने अनुरोध को अनुमोदन बोर्ड को अग्रेषित करने का निर्णय लिया क्योंकि विनिर्माण की प्रस्तावित मद प्लास्टिक उत्पाद है।

यूनिट ने बताया है कि वैश्विक प्रतियोगिता परिवेश में परिवर्तन के कारण उनको 160 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश से बैकवर्ड इंटीग्रेशन परियोजना स्थापित करने के लिए अपनी निर्माण क्षमता में संशोधन करना होगा। यूनिट ने यह भी बताया है कि उत्पाद के मूल्य निर्धारण की लाभप्रदता प्राप्त की जाएगी यदि उनके प्लांट में बीओपीपी फिल्म का निर्माण पारगमन लागत / लगने वाले समय के लिए किसी बाहरी प्लांट से बीओपीपी फिल्म की आपूर्ति / परिवहन की अड़चन दूर हो जाती है, एक्सट्रूशन कोटिंग / मटेलाइजर फिल्म के प्रोसेस के लिए नई सामग्री की अपेक्षित हैंडलिंग एवं प्रोसेस की आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसलिए यूनिट ने उसी कैंपस में 35000 टीपीए की क्षमता का बैकवर्ड इंटीग्रेशन प्लांट स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है जिसके लिए एमआईडीसी का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा भूमि आवंटित की गई है और संयुक्त निर्माण गतिविधि की योजना बनाई जा रही है। यूनिट ने निम्नलिखित औचित्य प्रस्तुत किया है : -

(i) वर्तमान युग में उपलब्ध स्तरोन्नत प्रौद्योगिकी मशीनें 35000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता की हैं जो आसानी से उपलब्ध हैं तथा एसईजेड परियोजनाओं में आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद हैं।

(ii) मशीनों की क्षमता से ऊर्जा की बचत होगी जो समान क्षमता की मशीनों से प्राप्त नहीं हो सकता है।

(iii) मशीन का निष्पादन उपयोग में सर्वोत्तम है जो मशीनों की क्षमता कम करता है।

(iv) क्षमता कम होने के बावजूद मशीन के लिए जनशक्ति लागत समान है और इस प्रकार कम जनशक्ति लागत होने से वैश्विक निर्यात बाजार के लिए नियंत्रण के अधीन प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण में मदद मिलेगी।

(v) कम क्षमता वाले प्लांट की तुलना में समय कम करने तथा अनुरक्षण लागत घटाने के लिए इस क्षमता का उत्पादन आदर्श है।

प्रस्ताव अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 52.10 : केएएसईजेड, गांधीधाम में ईओयू स्कीम से एसईजेड स्कीम में शिफ्ट करने के लिए अनुमति के लिए मैसर्स प्रयास वूलेन प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स प्रयास वूलेन प्राइवेट लिमिटेड को जीर्ण शीर्ण कपड़ों की रिप्रोसेसिंग के लिए ईओयू की 100 प्रतिशत यूनिट स्थापित करने के लिए एलओपी प्रदान किया गया था। यूनिट ने 2004 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया तथा 31 मार्च 2011 तक की स्थिति के अनुसार कुल 21.24 करोड़ रुपए का निर्यात किया है और सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है। 5 साल के पहले ब्लाक की समाप्ति पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा केवल दो साल के लिए एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाई गई। यूनिट ने 2011 में एलओपी की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व पुन: समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया। 28 नवंबर 2011 को आयोजित बैठक में अनुमोदन बोर्ड द्वारा ईओयू के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। यूनिट ने अपील की जिस पर 24 जनवरी 2012 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में विचार किया गया था। अनुमोदन बोर्ड ने तत्काल बंदी के कारण कठिनाई को ध्यान में रखते हुए 30 सितंबर 2012 तक एलओपी की वैधता अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया कि प्रयुक्त कपड़ों की रिसाकलिंग की ऐसी गतिविधि में शामिल यूनिटों के लिए एलओपी की वैधता अवधि पुन: बढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। अनुमोदन बोर्ड के इस निर्णय से व्यथित कि यूनिट के एलओपी की वैधता अवधि 30 सितंबर 2012 को समाप्त हो जाएगी तथा और समय विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा, यूनिट ने अब अभिवेदन दिनांक 7 फरवरी 2012 प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने अपनी यूनिट को केएएसईजेड में शिफ्ट करने के लिए अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है।

विकास आयुक्त, केएएसईजेड ने विशेष मामले के रूप में विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अनुरोध को रखने का अनुरोध किया है। ईओयू के अभिवेदन के साथ विकास आयुक्त, केएएसईजेड की रिपोर्ट अनुबंध 1 (पृष्ठ संख्या 10-15) के रूप में संलग्न है।

अनुरोध अनुमोदन बोर्ड के समक्ष विचार करने के लिए प्रस्तुत है।

मद संख्या 52.11 : अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील

(i) अधिकृत प्रचालनों के संचालन के लिए कतिपय सेवाओं की मंजूरी के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स सीएमसी लिमिटेड जो मैसर्स डीएलएफ आई / आईटीईएस एसईजेड द्वारा राजरहाट, कोलकाता में आईटी / आईटीईएस के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

एलओपी दिनांक 05 जुलाई, 2011 के माध्यम से मैसर्स सीएमसी लिमिटेड को उपर्युक्त एसईजेड में यूनिट स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। यूनिट ने विकास आयुक्त, एफएसईजेड के कार्यालय से अधिकृत प्रचालनों के लिए कुछ इनपुट सेवाओं के लिए मंजूरी प्रदान करने की मांग की थी। 31 जनवरी, 2012 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति (यूएसी) द्वारा यूनिट के अनुरोध पर विचार किया गया था। यूनिट अनुमोदन समिति ने यूनिट द्वारा अनुरोध की गई निम्नलिखित इनपुट सेवाओं के लिए इस आधार पर मंजूरी प्रदान नहीं की है कि ऐसे सेवाएं निजी प्रयोग के लिए हैं :

(क) आउटडोर कैटरर की सेवाएं
(ख) हवाई यात्रा एजेंट की सेवाएं
(ग) रेल यात्रा एजेंट की सेवाएं
(घ) ट्रैवल एजेंट की सेवाएं
(ङ) किराया - एक कैब योजना ऑपरेटर की सेवाएं
(च) केबल सेवाएं
(छ) एयर सर्विस द्वारा परिवहन यात्री

यूनिट ने यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के खिलाफ अपील दाखिल की है। अपील दाखिल करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 2 (पृष्ठ 16 -21) के रूप में संलग्न है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(ii) अधिकृत प्रचालनों में से एक के रूप में अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी तथा परामर्श सेवा के लिए कैप्टिव प्रचालन के रूप में शैक्षिक संस्था स्थापित करने के लिए अनुमति प्रदान करने के लिए अनुरोध को यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अस्वीकार किए जाने के निर्णय के विरुद्ध मैसर्स स्वर्णभूमि एकेडेमिक इंस्टीट्यूशन (मार्ग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्वर्णभूमि की शाखा) की अपील

मैसर्स स्वर्णभूमि एकेडेमिक इंस्टीट्यूशन (मार्ग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्वर्णभूमि की शाखा) ने न्यू चेन्नई टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई द्वारा विकसित किए जा रहे बहु सेवा एसईजेड के प्रसंस्करण क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यूनिट ने बताया है कि वह शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी,

परामर्श सेवा में विदेशी संस्थाओं को सेवा प्रदान करना चाहती है तथा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी तथा परामर्श सेवा के लिए कैप्टिव प्रचालन के रूप में शिक्षा संस्था स्थापित, प्रचालित एवं प्रबंधित भी करना चाहती है। 27 फरवरी 2012 को आयोजित अपनी बैठक में यूनिट अनुमोदन समिति ने विदेशी संस्थाओं को अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी तथा परामर्श सेवा प्रदान करने के लिए यूनिट स्थापित करने के लिए मंजूरी प्रदान की है। तथापि, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी तथा परामर्श सेवा के लिए कैप्टिव प्रचालन के रूप में शिक्षा संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव को यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया।

यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय से व्यथित मैसर्स मैसर्स स्वर्णभूमि एकेडेमिक इंस्टीट्यूशन ने अनुमोदन बोर्ड के समक्ष अपील की है। यूनिट द्वारा अपील दाखिल किए जाने का आधार अनुबंध 3 (पृष्ठ संख्या 22 - 24) के रूप में संलग्न है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iii) निर्यात किए गए माल जो कंसाइनमेंट के आधार पर भेजा गया, के पुन: आयात के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स आम्रपाली एक्सपोर्ट्स जो सीतापुरा, जयपुर, राजस्थान में एसईजेड की यूनिट है, का अनुरोध

मैसर्स आम्रपाली एक्सपोर्ट्स ने मैसर्स आम्रपाली इंक, यूएसए को 7 फरवरी 2011 को ज्वैलरी से युक्त एक पार्सल का निर्यात किया था। निर्यात कंसाइनमेंट के आधार पर था। यूनिट ने बताया है कि कंसाइनमेंट के आधार पर भेजे गए माल को यूएसए में बिक्री के लिए रखा जाता है तथा संभव होने पर अनबिका माल भारत को लौटाया जाना चाहिए। यूनिट ने उपर्युक्त माल का पुन: आयात किया तथा इस समय पार्सल एयर कार्गो परिसर, सांगनेर, जयपुर में पड़ा है। यूनिट को यह कहते हुए उक्त पार्सल का पुन: आयात करने की अनुमति नहीं दी गई है कि एक साल के बाद पुन: आयात किया जा रहा है। पत्र दिनांक 25 मार्च, 2012 के माध्यम से यूनिट को निर्णय के बारे में सूचित किया गया।

निर्णय से व्यथित यूनिट ने यह कहते हुए अपील की है कि उपर्युक्त पार्सल 30 जवरी 2012 को समय सीमा के अदंर अर्थात निर्यात की तिथि से एक साल के अंदर यूएसए में कूरियर कंपनी को सौंपा गया परंतु ड्यूटी ड्राबैक इंट्री के कारण यूएस कस्टम में पार्सल को रोक लिया तथा यह 7 फरवरी 2012 तक अर्थात निर्यात की तिथि से एक साल के अंदर क्लियर नहीं हो सका। अपील दाखिल करने के लिए यूनिट द्वारा प्रदान किए गए कारणों के साथ मामले का संक्षिप्त ब्यौरा अनुबंध 4 (पृष्ठ 25 -31) के रूप में संलग्न है।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

(iv) अधिकृत प्रचालनों के लिए कुछ इनपुट सेवाओं के अनुमोदन के लिए अनुरोध को अस्वीकार किए जाने के विरुद्ध मैसर्स यूपीएस लाजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड की अपील

मैसर्स यूपीएस लाजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड मागरपट्टा सिटी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में मैसर्स मागरपट्टा टाउनशिप डवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड द्वारा आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर के लिए विकसित किए जा रहे क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की यूनिट है। अधिकृत प्रचालनों के रूप में निम्नलिखित सेवाओं के अनुमोदन के लिए यूनिट के अनुरोध को यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया :

(क) रीयल एस्टेट एजेंट की सेवाएं
(ख) होटल आवास की सेवाएं

यूनिट ने यूनिट अनुमोदन समिति के निर्णय के खिलाफ अपील दाखिल की है। 28 नवंबर, 2011 को आयोजित अनुमोदन बोर्ड की बैठक में अपील पर विचार किया गया था। कार्यवृत्त नीचे दिया गया है :

"अनुमोदन बोर्ड ने अपीलकर्ता को निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया। तथापि, अपीलकर्ता बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया कि वाणिज्य विभाग द्वारा फाइल पर अपील की जांच की जाए।"

अब यूनिट ने यह कहते हुए निजी सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है कि अपील पर निर्णय लेने से पूर्व उसे निजी सुनवाई का नोटिस तामील नहीं किया गया (अनुबंध 5, पृष्ठ संख्या 32-42)।

अपील विचार करने के लिए अनुमोदन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

******